न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान

आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 92/2020

अभिषेक बंसल पुत्र सुनिल बंसल, जाति अग्रवाल, निवासी मकान नं0 2030/4, रामपुरा मौहल्ला, हिसार, जिला हिसार (हरियाणा) जरिये मुख्त्यार सुरेश कुमार मील पुत्र विजेन्द्र सिंह, जाति जाट, निवासी मोजासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वाहन सं0 एल 01 क्यू 8315 व 4200 लीटर डीजल (21 ड्रम) प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 227/20 पुलिस थाना सदर झुंझुनूं अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट

––

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री बाबूलाल मील – प्रार्थी बैंक की ओर से
2 श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – राज्य सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक 23.11.2020

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वाहन सं0 एन एल 01 क्यू 8315 का पंजीकृत स्वामी है उक्त वाहन एफ0आई0आर0 नं0 227/20 मे पुलिस थाना सदर झुंझुनूं मे जप्त है तथा प्रार्थी का डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) भी जप्त है। पुलिस थाना सदर झुंझुनूं मे प्रार्थी के उक्त वाहन व डीजल 4200 लीटर को गलत व गैर कानूनी रूप से जप्त किये है। प्रार्थी के वाहन (दस टैंक लोरी) झुंझुनूं एल पी जी प्लान्ट मे गैस परिवहन हेतु लगा रखे है जिसके

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

टेण्डर नं0 एलपीजी/डीयुएलके/टीटी/आईओसी/आरजे/2018 वेण्डर कोड 11044330, 11044356 दिनांक 31.08.2023 तक वैध है। दिनांक 12.10.2020 को प्रार्थी का वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 मे 4200 लीटर डीजल लेकर झुंझुनूं एलपीजी प्लान्ट मे 7 टेंकर (वाहन) जिनकी लिस्ट सलंग्न है मे प्रति गाडी 600 लीटर भरने के लिए लेकर आया था। प्रार्थी की कम्पनी डेजी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड हिसार मे पम्प है कोरोना माहमारी की वजह से बिजनैस वित्तीय संकट से प्रभावित हुआ तथा गैस सेवा बाधित ना हो और गैस की आपूर्ति बिना देरी के सुचारू रूप से चलती रहे व आमजन को रसोई गैस से संबंधित कोई परेशानी ना हो इसलिए प्रार्थी ने अपने स्वयं के पेट्रोल पम्प से हिसार से झुंझुनूं अपने वाहन के लिए डीजल परिवहन किया ताकि प्रार्थी के वाहन बिना डीजल खडे ना रहे । प्रार्थी ने कोई अपराध ईसी एक्ट का नही किया है। प्रार्थी उक्त डीजल बिक्री के लिए नही लाया था । उक्त वाहन के चालक ने थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झुंझुनूं को उक्त डीजल प्रार्थी के वाहनों के लिए लाने के सम्पूर्ण जानकारी देदी थी परन्तु पुलिस थाना सदर झुंझुनूं ने गलत व गैर कानूनी रूप से प्रार्थी का उक्त वाहन व डीजल जप्त किया है। पुलिस थाना सदर झुंझुनूं ने अपराध अ0 धारा 3/7 ईसी एक्ट का झूठा एवं बेबुनियाद मुकदमा बनाया है जबकि उक्त प्रकरण धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट का नही बनता है। प्रार्थी का उक्त वाहन थाना परिसर मे खुले आसमान के नीचे खडा है जो निरन्तर खराब हो रहा है तथा डीजल खराब हो रहा है इसलिए उक्त वाहन व 4200 लीटर डीजल प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित है। उक्त वाहन मे जो डीजल 4200 लीटर लाया गया है वह बिक्री के उद्देश्य से नही लाया गया है। प्रार्थी ने कोई कानून का उल्लघंन नही किया है। प्रार्थी को उक्त वाहन व 4200 लीटर डीजल सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी सेवामे पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 व 4200 लीटर डीजल (21 ड्रम) सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी वाहन सं0 एन एल 01 क्यू 8315 का पंजीकृत स्वामी है उक्त वाहन एफ0आई0आर0 नं0 227/20 मे पुलिस थाना सदर झुंझुनूं मे जप्त है तथा प्रार्थी का डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) भी जप्त है। प्रार्थी के वाहन (दस टैंक लोरी) झुंझुनूं एल पी जी प्लान्ट मे गैस परिवहन हेतु लगा रखे है जिसके टेण्डर नं0 एलपीजी/डीयुएलके/टीटी/आईओसी/आरजे/2018 वेण्डर कोड 11044330, 11044356 दिनांक 31.08.2023 तक वैध है। दिनांक 12.10.2020 को प्रार्थी का वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 मे 4200 लीटर डीजल लेकर झुंझुनूं एलपीजी प्लान्ट मे 7 टेंकर (वाहन) जिनकी लिस्ट सलंग्न है मे प्रति गाडी 600 लीटर भरने के लिए लेकर आया था। प्रार्थी ने कोई अपराध ईसी एक्ट का नही किया है। प्रार्थी उक्त डीजल बिक्री के लिए नही लाया था । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार फरमाया जाकर वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 व 4200 लीटर डीजल (21 ड्रम) सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन एफ0आई0आर0 नं0 227/20 मे पुलिस थाना सदर झुंझुनूं मे जप्त है तथा प्रार्थी का डीजल 4200लीटर (21 ड्रम) भी जप्त है। प्रार्थी द्वारा वाहन नं0 एन एल 01 क्यू 8315 मे 4200 लीटर डीजल का बिक्री के उद्देश्य से अवैध परिवहन किया है जो ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण में डीजल हरियाणा से लाया जाना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। जप्त डीजल की मात्रा 4200 लीटर (21 ड्रम) है, इतनी मात्रा में हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल राजस्थान में लाया है। जबकि राजस्थान में डीजल के पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टेक्स बचाने के लिये डीजल वहां से लेके आया है। प्रकरण का अंतिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 एक्ट के तहत किया जाना है। हम प्रकरण का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए तथा 6 बी के तहत डीजल एवं वाहन का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। जप्त किये गये डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) तथा वाहन संख्या एनएल 01 क्यू 8315 का निस्तारण किया जाना है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) का खुली निलामी के जरिये निस्तारण करें तथा निलामी राशि को नियमानुसार कार्यवाही कर राजकोष में जमा करावें तथा जप्त वाहन प्रार्थी को उसकी सुपुर्दगी पर दिये जाने के अंतरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू एवं जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं पालनार्थ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं
23/11/20

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण में डीजल हरियाणा से लाया जाना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। जप्त डीजल की मात्रा 4200 लीटर (21 ड्रम) है, इतनी मात्रा में हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल राजस्थान में लाया है। जबकि राजस्थान में डीजल के पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टेक्स बचाने के लिये डीजल वहां से लेके आया है। प्रकरण का अंतिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 एक्ट के तहत किया जाना है। हम प्रकरण का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए तथा 6 बी के तहत डीजल एवं वाहन का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। जप्त किये गये डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) तथा वाहन संख्या एनएल 01 क्यू 8315 का निस्तारण किया जाना है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 4200 लीटर (21 ड्रम) का खुली निलामी के जरिये निस्तारण करें तथा निलामी राशि को नियमानुसार कार्यवाही कर राजकोष में जमा करावें तथा जप्त वाहन प्रार्थी को उसकी सुपुर्दगी पर दिये जाने के अंतरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू एवं जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं पालनार्थ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **23.11.2020** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
23/11/202